न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 67/2006

प्रार्थीः–

1. मुन्नालाल पुत्र चतुर्भुज माली, निवासी 45 घासमण्डी, पाली, तहसील व जिला पाली (राजस्थान)

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, पाली, तहसील व जिला पाली (राजस्थान)
2. पटवारी, ग्राम पंचायत मण्डली खुर्द तहसील व जिला पाली
3. रेवेन्यु इस्पेटर, पाली तहसील व जिला पाली (राजस्थान)
4. गीगसिंह पुत्र बींजराज सिंह राजपुरोहित, निवासी– ठाकुरला, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राजस्थान)
5. चुकिया देवी पत्नि शंकरलाल माली, निवासी– सिंधी कॉलोनी, पाली, तहसील व जिला–पाली (राजस्थान)
6. रामी देवी पत्नि मदनलाल माली, निवासी–पल्लीवालो का बास, पाली, तहसील व जिला–पाली (राजस्थान)
7. लक्ष्मी पत्नि भंवरलाल माली, निवासी– हाथीराम का ओडा, जोधपुर, तहसील व जिला – जोधपुर (राजस्थान)
8. गंगाराम पुत्र हरजी माली, निवासी– भैरूघाट चौराहा के पास, पाली तहसील व जिला–पाली (राजस्थान)
9. सुशीला देवी पत्नि अंबालाल माली, निवासी–48, रामदेवरोड़, पाली तहसील व जिला–पाली (राजस्थान)
10. निरमा उर्फ जानवी पत्नि महेश माली, निवासी–48, रामदेवरोड़, पाली तहसील व जिला–पाली (राजस्थान)
11. ललिता पुत्री अंबालाल माली, निवासी–48, रामदेवरोड़, पाली तहसील व जिला–पाली (राजस्थान)
12. रीना पुत्री अंबालाल माली, निवासी–48, रामदेवरोड़, पाली तहसील व जिला–पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः–

1. श्री एस एच चंपावत, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 5,6,9,10 व 11

Rohit

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 141 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

—:आदेश:— दिनांक - 28.02.2020

1. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 141 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा 141 राजस्थान भू राजस्व के अनुसार नामातरकरण संख्या 366 पर दिया गया आदेश दिनांक 18.06.1980 व उसके पूर्व के व उसके बाद के सभी आदेशों से ये न्यायालय व तहसीलदार पाली का न्यायालय पाबंद है। सिवाय उनके विरूद्ध दावे के मामले मे, इसलिये उसके विरूद्ध अपील समायत करके तहसीलदार को रिमाण्ड करने कि अधिकार शक्ति इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। तहसीलदार पाली ने संबंधित पक्षकार को अनुचित लाभ देने के लिये व वर्तमान मे प्रविष्ट खातेदारो को सुनवाई के मूलभूत अधिकार से वंछित करते हुये अनुचित क्षति पहुचाने के लिये, इस न्यायालय के ध्यान मे नही लाया गया जिससे न्यायालय को दिग्भ्रमित करके आदेश प्राप्त किया गया है। जिससे भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध आती है। जमाबन्दी मे प्रविष्ट खातेदारान को जमाबंदी से हटाकर किसी अन्य को उसके स्थान पर प्रविष्ट करने का दावे के उपलब्ध विकल्प को ताक पर रखकर कानून, न्याय के मौलिक सिद्धांत व विधायिकी मंशा के विपरित तरिका आविष्कार करते हुये यह आदेश प्राप्त किया गया है जो स्वयं में ऐतिहासिक दुष्परिणों का सृजक है जिसे इस स्तर पर ही रिकॉल करना अति आवश्यक है। उपरोक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.04.2006 जो अपील संख्या 01/2006 बअनवान चुकिया बाई बनाम राजस्थान सरकार में प्रारित किया गया उक्त आदेश को रिकॉल करने का निवेदन किया।

2. वकील अप्रार्थी संख्या 5,6,9,10 व 11 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा 141 के प्रावधानो के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। न ही न्यायायल को उपरोक्त भूमि के संबंध मे पूर्व मे कोई आदेश पारित किया गया है। न ही न्यायालय द्वारा किसी रूप से उपरोक्त आदेश दिनांक 10.04.2006 को पारित नही करने हेतू पाबंद है। प्रार्थना मे वर्णित तथ्य केवल मात्र न्यायालय को डराने व धमकाने की नियत से आरोप लागाते हुये प्रस्तुत किया गया है। जो सरासर गलत है। न्यायायल द्वारा विधि अनुसार न्यायिक आदेश प्रारित किया गया है। धारा 125 को दिनांक 22.11.1995 को डिलिट कर दिया गया था। धारा 141 के अंतर्गत अध्याय 7 मे सर्वे और रिकार्ड ऑपरेशन से संबंधित प्रावधान प्रावधित है। उक्त धारा में किसी भी रूप से किसी भी म्युटेशन को श्रीमान के न्यायालय के चुनौती देने से और उस संबंध मे न्यायालय द्वारा निर्णय करने से बाधित नहीं करती हैं इस कारण प्रार्थी का धारा 141 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से अपास्त करने का निवेदन किया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

3. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि धारा 141 राजस्थान भू राजस्व के अनुसार नामातरकरण संख्या 366 पर दिया गया आदेश दिनांक 18.06.1980 व उसके पूर्व के व उसके बाद के सभी डिसीजन से ये न्यायालय व तहसीलदार पाली का न्यायालय पाबंद है। सिवाया उनके विरूद्ध दावे के मामले मे, इसलिये उसके विरूद्ध अपील समायत करके तहसीलदार को रिमाण्ड करने कि अधिकार शक्ति इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। तहसीलदार पाली ने संबंधित पक्षकार को अनुचित लाभ देने के लिये व वर्तमान मे प्रविष्ट खातेदारो को सुनवाई के मूलभूत अधिकार से वंछित करते हुये अनुचित क्षति पहुचाने के लिये, इस न्यायालय के ध्यान मे नही लाया गया जिससे न्यायालय को दिग्भ्रमित करके आदेश प्राप्त किया गया है। जिससे भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध आती है। जमाबन्दी मे प्रविष्ट खातेदारान को जमाबंदी से हटाकर किसी अन्य को उसके स्थान पर प्रविष्ट करने का दावे के उपलब्ध विकल्प को ताक पर रखकर कानून, न्याय के मौलिक सिद्धांत व विधायिकी मंशा के विपरित तरिका आविष्कार करते हुये यह आदेश प्राप्त किया गया है जो स्वयं में ऐतिहासिक दुष्परिणों का सृजक है जिसे इस स्तर पर ही रिकॉल करना अति आवश्यक है। उपरोक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.04.2006 जो अपील संख्या 01/2006 बअनवान चुकिया बाई बनाम राजस्थान सरकार में प्रारित किया गया उक्त आदेश को रिकॉल करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक अप्राथीगण संख्या 5,6,9,10 व 11 ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि मुकदमा अपील संख्या 1/2006 जो दिनांक 10.04.2006 को निर्णीत कर दी गई। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मे रिविजन संख्या 8453/2006 पेश की गई। जिसमें बाद सुनवाई माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने स्टे ऑडर पारित किया गया। जो स्टे आदेश आज भी प्रभावी है। धारा 141 के प्रावधान लागू नहीं होते है क्योकि धारा 125 आर एल आर दिनांक 22.11.1995 को डिलिट किया जा चुका है। धारा 141 के अंतर्गत अध्याय 7 मे सर्वे और रिकार्ड ऑपरेशन से संबंधित प्रावधान प्रावधित है। उक्त धारा में किसी भी रूप से किसी भी म्युटेशन को न्यायालय के चुनौती देने से और उस संबंध मे न्यायालय द्वारा निर्णय करने से बाधित नहीं करती हैं। इस कारण प्रार्थी का धारा 141 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से अपास्त करने का निवेदन किया।

6. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमनें धारा 141 भू राजस्व अधिनियम 1956 का अवलोकन किया। चूंकि धारा 125 आर एल आर एक्ट के प्रावधानो को विधायिका ने दिनांक 22.11.1995 को डिलिट किया गया। जिन

Rahul

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

प्रावधानो को डिलिट करने पश्चात् धारा 141 के अंतर्गत अध्याय 7 मे सर्वे और रिकार्ड ऑपरेशन से संबंधित प्रावधान ही प्रावधित रहते है।अतः उक्त धारा में किसी भी रूप से किसी भी म्युटेशन को न्यायालय के चुनौती देने से और उस संबंध मे न्यायालय द्वारा निर्णय करने से बाधित नहीं करती हैं। इसके अलावा उक्त निर्णय दिनांक 10.04.2006 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित स्थगन आदेश जिसमें मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखनी है जो आज दिनांक तक स्टेण्ड कर रहा है। इसलियें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 141 आर.एल.आर अस्वीकार कर खारिज करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 141 भू राजस्व अधिनियम 1956 इस स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल से निर्णय पश्चात् प्रार्थी पुनः इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश करने हेतू स्वतंत्र रहेगा। फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.17 18:32:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: